रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 441] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 4, 2009/श्रावण 13, 1931
No. 441] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 4, 2009/SRAVANA 13, 1931

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 2009

सा.का.नि. 563(अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रतियोगिता अधिनियम, 2002 (2003 का 12) की धारा 16 की उप-धारा (4) के साथ पठित धारा 63 की उप-धारा (2) के खंड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत के प्रतियोगिता आयोग (महानिदेशक) भर्ती नियम, 2009 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.**— वह व्यक्ति —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है ; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन-सह-ज्येष्ठता या योग्यता के आधार पर चयन अथवा अचयन	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
महानिदेशक (डी जी)	1 (एक)	लागू नहीं होता	वेतन बैंड 37400-67000 + ग्रेड वेतन 10000 रु. (वार्षिक वृद्धि @3%)-79000	चयन	नहीं	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(11)	(12)
प्रतिनियुक्ति द्वारा	**प्रोन्नति : वेतन बैंड 37400-67000 रु. की + ग्रेड वेतन 10000 के लिए** (1) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के ऐसे अधिकारी : (क) जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है; या (ख) जिन्होंने केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार में वेतन बैंड 37400-67000 रु. की ग्रेड वेतन 8900 रु. के पद में दो वर्ष नियमित सेवा की है या समतुल्य ; (ग) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार में वेतन बैंड 37400-67000 रु. ग्रेड वेतन 8700 रु. के पद में तीन वर्ष नियमित सेवा की है या समतुल्य या 67000 वेतनमान के लिए (वार्षिक वृद्धि @ 3% 79,000 रु.) 1. केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के ऐसे अधिकारी : (क) जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या 2. जिन्होंने केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार में वेतन बैंड 37400-67000 रु. की ग्रेड वेतन 10,000 रु. की पद में तीन वर्ष नियमित सेवा की है या समतुल्य ;

(12)
ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा जिस व्यक्ति में सत्य निष्ठता और उत्कृष्ट योग्यता होगी और जो अन्वेषण में अनुभव रखते हैं तथा लेखा, प्रबंध, कारबार, लोक प्रशासन, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार, विधि या अर्थशास्त्र की जानकारी हो ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(13)	(14)
लागू नहीं होता तथापि महानिदेशक के पद के चयन के लिए खोज सहचयन समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी: क. सचिव, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय —अध्यक्ष ख. अध्यक्ष, भारत के प्रतियोगिता आयोग या उसके द्वारा नामित आयोग का सदस्य —सदस्य ग. केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट उत्कृष्ट विशेषज्ञ व्यक्ति —सदस्य	लागू नहीं होता ।

[फा. सं. 1/1/2009-सी.एस.]

पी. डी. सुधाकर, अवर सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th August, 2009

G.S.R. 563(E).—In exercise of the powers conferred by clause (f) of sub-section (2) of Section 63 read with sub-section (4) of Section 16 of the Competition Act, 2002 (12 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules namely :—

1. Short title and commencement. —(1) These rules may be called the Competition Commission of India (Director General) Recruitment Rules, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and pay band with grade pay or pay scale . —The number of posts, their classification and the pay band with grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule, annexed to these rules.

3. Method of recruitment, eligibility, etc.—The method of recruitment, eligibility and other matters relating there to shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

4. Disqualification. —No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person.

shall be eligible for appointment to the said post ;

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing , relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Pay band with grade pay or pay scale	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service is admissible under CCS (Pension) Rules	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Director-General (DG)	1 (one)	Not applicable	Pay band Rs. 37400-67000 + Grade pay 10000 or pay scale 67000 (annual increment @3%)- 79000	Selection	No	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruitment	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Two years

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, or grades from which promotion/deputation /transfer to be made
(11)	(12)
By deputation	**For pay band Rs. 37400-67000+Grade pay 1000** (1) Officers of the Central Government or State Government holding (a) analogous posts in Central Government/State Government on regular basis; or (b) Post in Central/State Government with two years regular service in the payband of Rs. 37,400-67,000 with grade pay of Rs. 8900 or equivalent; (c) Post in Central/State Government with three years regular service in the payband of Rs. 37,400-67,000 with grade pay of 8700 or equivalent; or For pay scale 67000- (annual increment @ 3%)- 79000 (1) Officers of the Central Government or State Government holding (a) analogous posts in Central Government/State Government on regular basis; or (b) Post in Central/State Government with three years regular service in the payband of Rs. 37,400-67,000 with grade pay of Rs. 10,000 or equivalent;

	(12)
	Persons to be considered for appointment should be persons of integrity and outstanding ability and who have experience in investigation, and knowledge of accountancy, management, business, public administration, international trade, law or economics.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(13)	(14)
Not applicable However, Selection for the post of DG shall be made through the search-cum-Selection Committee consisting of — (a) Secretary, Ministry of Corporate Affairs —Chairman (b) Chairperson, Competition Commission of India or Member of the Commission nominated by him —Member (c) Expert-person of eminence nominated by the Central Government —Member	Not applicable.

[F. No. 1/1/2009-CS]

P. D. SUDHAKAR, Addl. Secy.

28339 DP09-2

Printed by the Manager, Governement of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.